भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2022
दिनांक 31 जुलाई 2025

विशेष रियायतों/छूट के तहत पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का आवंटन

2022 **श्री देवेश शाक्य:**

क्या *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में विशेष रियायतों/छूट के अंतर्गत पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आवंटन में लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश में इन विशेष रियायतों/छूट के अंतर्गत आवेदकों के लिए पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है;
(ग) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में उक्त श्रेणियों के अंतर्गत पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियां आवंटित की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को विशेष रियायतों/छूट के अंतर्गत पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं और उनके संचालन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने दिनांक 28.06.2023 से खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए नए "डीलरशिप चयन दिशानिर्देश" और दिनांक 23.6.2016 से "एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देश" लागू किए हैं। इन दोनों दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के अंतर्गत, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक कर्मियों/केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन एक पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करके किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पात्र प्रतिभागियों से आवेदन आमंत्रित करना, ऑनलाइन आवेदन जमा करना, आवंटियों के चयन हेतु लॉटरी निकालना आदि शामिल हैं।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया/मानक/मापदंड/आरक्षण नीति www.petrolpumpdealerchayan.in पर उपलब्ध है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन सम्बन्धी विस्तृत दिशानिर्देश www.lpgvitarakchayan.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ): दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, पूरे उत्तर प्रदेश और इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में पीएसयू ओएमसीज के आरओज का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

	एससी/एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
उत्तर प्रदेश	1851	1304	8607	11762
इटावा	17	9	77	103
औरैया	15	9	71	95
एटा	15	8	45	113
कासगंज	12	17	67	100

उत्तर प्रदेश में आरओज स्थापित करने के लिए जून/जुलाई, 2023 में पीएसयू ओएमसीज द्वारा निर्गत 6609 स्थलों के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, 3654 आशय पत्र (एलओआई) निर्गत किए जा चुके हैं और दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 817 आरओज चालू हो चुके हैं। इनमें इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में निर्गत 132 एलओआई शामिल हैं, जिनमें से 30 आरओज चालू हो चुके हैं।

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, पूरे उत्तर प्रदेश और इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

	एससी/एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
उत्तर प्रदेश	882	415	2849	4146
इटावा	6	1	22	29
औरैया	6	2	20	28
एटा	6	4	23	33
कासगंज	9	2	17	28

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, ओएमसीज ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन हेतु एकीकृत चयन दिशानिर्देश, 2016 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 1051 स्थलों का विज्ञापन दिया है, जिनमें से 1035 स्थलों पर वितरण शुरू हो चुका है। इसमें इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में विज्ञापित 32 स्थल शामिल हैं और सभी चालू और प्रचालित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश और इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में इन आवंटनों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

उत्तर प्रदेश और इटावा, औरैया, एटा और कासगंज जिलों में यूएसजी के तहत चालू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की श्रेणीवार संख्या				
	एससी/एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
उत्तर प्रदेश	232	269	534	1035
इटावा	1	2	2	5
औरैया	1	0	5	6
एटा	2	3	8	13
कासगंज	1	2	5	8

*****